बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

10 मार्च, 2021

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 28

कार्रवाई कब तक

*23 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि हरिराम उच्च विद्यालय, मैरवा, सीवान के प्रांगण में बगैर शिक्षा विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सही है प्रधानाध्यापक ने अपने पत्रांक – 398, दिनांक - 14.12.2020 के द्वारा जिला पदाधिकारी, सीवान और विभिन्न पत्रांकों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैरवा को इसकी सूचना दी है, फिर भी अंचल पदाधिकारी की मिलीभगत से काम जारी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त पानी टंकी के निर्माण पर रोक लगाते हुए दोषी अंचल पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है?

जलापूर्ति केन्द्रों का निर्माण कब तक

*117 **श्री रण विजय कुमार सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नल-जल योजनान्तर्गत हर घर को स्वच्छ जल मुहैया कराने हेतु राज्य के सभी जिलों में जलापूर्ति केन्द्र के निर्माण की योजना चलायी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना शहरी क्षेत्र में 113 जलापूर्ति केन्द्र हैं, जिनमें पटना में कुल 97 जलापूर्ति केन्द्रों में से 9 ही चालू हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पटना के शेष बचे कुल 88 जलापूर्ति केन्द्रों का निर्माण सरकार शीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*153 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर प्रखंड के गॉधी आश्रम मुहल्ला में श्री विशुनदेव राय कीनिजी भूमि पर श्रीमती माला देवी पति- स्व. दया शंकर प्रसाद, मुहल्ला- गॉधी आश्रम द्वारा सरकारी अनुदान से शौचालय का निर्माण करा लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री राय द्वारा इस निर्माण का विरोध किये जाने के फलस्वरूप प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अनुनय संख्या- 41811012711180254 5/2A निर्गत संख्या- 24111-09217 निर्णय की तिथि- 17/01/2020 के माध्यम से श्री राय के पक्ष में निर्णय दिया गया जिसमें श्रीमती माला देवी पति- स्व. दया शंकर प्रसाद द्वारा निर्मित शौचालय को तोड़कर हटाने एवं श्री राय की जमीन खाली करने का आदेश था;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी आज तक संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन कराने में टालमटोल किया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रधान सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन कराते हुए वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है?

पर्यटन स्थल कबतक

*236 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के इमामगंज प्रखंड की चुआवार पंचायत की नेहरा पहाड़ी पर शंकर भगवान का एक 300 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है जहाँ काफी श्रद्धालु पूजा-पाठ करने आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि काफी प्राचीन मंदिर होने के बावजूद सरकार की ओर से इस पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है एवं मंदिर तक जाने के लिए एक मात्र सड़क भी आम लोगों के श्रमदान से बनायी गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नेहरा पहाड़ी को पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक?

सुनवाई पर निष्पादन

*237 **श्री रण विजय कुमार सिंह (विधान सभा):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर (आरा) जिला समाहरणालय में जन-शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हजारों आवेदन प्रथम अपील की सुनवाई हेतु लगभग 1 वर्षों से लम्बित हैं तथा न्याय मिलने में विलम्ब होने के कारण जनता में सरकार के प्रति काफी क्षोभ है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लम्बित आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार प्रथम अपील की सुनवाई कर निष्पादन का विचार रखती है?

चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण

*238 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की अटल फॉर रिजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) के तहत चिल्ड्रेन पार्क बनाने की घोषणा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि गया-पटना सड़क मार्ग स्थित कंडी गाँव के पास गया नगर निगम, गया के द्वारा चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गया जिले के कंडी गाँव के पास अटल फॉर रिजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) के तहत चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

गन्दे पानी पर रोक

*239 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी शहर के वार्ड सं.- 08 से सुड़ी उच्च विद्यालय के दक्षिण में उपयोग के लिए पोखरा अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि पोखरा के आस-पास आवासीय परिसर है;

(ग) क्या यह सही है कि आवासीय परिसर के आस-पास नाला नहीं रहने के कारण गन्दा पानी पोखरा में जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि पोखरा में गन्दा पानी के जाने से महामारी की संभावना बढ़ गई है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पोखरा में आवासीय परिसर का गन्दा पानी जाने से रोकना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

पार्किंग की व्यवस्था

*240 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य मुख्यालय में जनहित में निर्मित बड़े-बड़े फ्लाई ओवर के नीचे गाडि़यों के पार्किंग की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि स्टेशन रोड, बेली रोड एवं एक्जीविशन रोड स्थित फ्लाई ओवर के नीचे अधिकांश जगहों पर पार्किंग के बदले दुकानें सजी हुई हैं जिसके कारण गाडि़यों को सड़क पर ही खड़ा किया जाता है और जाम की स्थिति बनती है;

(ग) क्या यह सही है कि इस पार्किंग का सार्वजनिक हित में नहीं उपयोग कर व्यावसायिक हित में भी कहीं-कहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में किसी ठोस कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

एकल मृत्यु पर अनुदान

***241 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मानवजनित आपदा में एक व्यक्ति से अधिक की मृत्यु या एक मृत्यु एवं एक गंभीर रूप से घायल होने पर चार लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि मानवजनित आपदा में एकल मृत्यु होने पर चार लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानवजनित आपदा में एकल मृत्यु के मामले में भी चार लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान का प्रावधान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

योजना के तहत कार्य नहीं

***242 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जल-जीवन-हरियाली योजना के अनुसार बिहार के कई जिलों और प्रखंडों में अब तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि योजना के अनुसार राजधानी पटना जिले के कई प्रखंड पूर्णतः अछूते हैं, सिर्फ कागज पर ही इस योजना का प्रचार-प्रसार कर सरकार वाहवाही लूट रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत राज्य में और विशेषकर पटना में क्या-क्या कार्य कराये गए हैं?

पदाधिकारी की नियुक्ति

***243 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में बैजनाथन कमिटि की अनुशंसा के आलोक में सहकारी बैंकों में उचित मापदंड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, सहकारिता बैंकों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में उचित मापदण्ड के अनुसार गठित उच्चस्तरीय कमिटि का गठन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सहकारिता बैंकों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति मापदण्ड के अनुसार नहीं होने के फलस्वरूप 23 जिला सहकारी बैंकों में से अनेक बैंकों में एक ही पदाधिकारी DCO एवं MD, दोनों के प्रभार में कार्यरत रहने के चलते बैंकों की स्थिति दयनीय हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 23 जिलों के अलावे एक राज्य सहकारिता बैंक में गठित कमिटि के आलोक में मापदण्ड के अनुसार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भुगतान कब तक

***244 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक- 3733/न.वि. एवं आ. वि. पटना, दिनांक- 19.08.2015 एवं श्रीमती इन्दू कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, न.वि.आ.वि., पटना के पत्रांक सं.- 45 न.वि., दिनांक- 12.01.2017 के अनुपालन में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना अन्तर्गत नूतन राजधानी अंचल में व्यक्तिगत शौचालय का कार्य सम्पन्न कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् कुल 575 (पांच सौ पचहत्तर) शौचालय को 100/- रु. प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में विकास मित्रों को कुल राशि 57,500/- स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना मद में उपलब्ध राशि इण्डियन बैंक का खाता सं.- 6463944673 से भुगतान करने हेतु संबंधित सिटी मैनेजर प्रशाखा पदाधिकारी (ले.) (स्था.) एवं शाखा प्रबंधक इण्डियन बैंक, पटना को स्वीकृत करके भेजी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि सारी प्रक्रिया और औपचारिकता पूरा करने के बाद भी आज तक विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भुगतान ससमय नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लंबित प्रोत्साहन राशि को विकास मित्रों के खातों में जमा करा के भुगतान दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई

***245 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के अंतर्गत जल्ला स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब अवस्थित है जिसमें सालोंभर प्राकृतिक रूप से पानी भरा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तालाब के भरने तथा उसे भरकर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक भवन निर्माण की कार्रवाई कतिपय तत्वों द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि यदि उक्त प्राकृतिक तालाब का सौंदर्यीकरण कर उसे विकसित कर दिया जाय तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल का रूप ले सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तालाब का अतिक्रमण तथा उसे भरकर व्यावसायिक निर्माण कार्यों में संलग्न असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भूमि का सदुपयोग

***246 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के गड़पुरा रेलवे यार्ड में लगभग 900 एकड़ जमीन उपलब्ध है जिसका उपयोग रेलवे कारखाना/जोनल कार्यालय/रेल मंडल कार्यालय आदि के लिए किया जाना था किन्तु इसका उपयोग उक्त कार्यों के लिए आज तक नहीं किया जा सका;

(ख) यदि उपरोकत खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रेल मंत्रालय को उक्त भूमि के सदुपयोग के लिए संस्तुति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

अतिक्रमण से मुक्त

***247 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी नगर स्थित कारगिल चौक से गौशाला, सीतामढ़ी तक जाने वाली बाईपास सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गई है तथा दोनों तरफ से अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सड़क

को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

लम्बित मामले का निपटारा

***248 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी अंचलों को चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज की प्रक्रिया से जोड़ा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि एक दिसम्बर 2020 तक ऑनलाइन के माध्यम से 40 लाख 71 हजार 908 दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 31 लाख 20 हजार 714 आवेदनों का निबटारा किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि कर्मियों की कमी व उदासीनता से दाखिल खारिज के 10 लाख 21 हजार 858 मामले लम्बित हैं तथा दाखिल खारिज समय पर नहीं होने से कई तरह से परेशानियां हो रही हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रिक्त पदों पर राजस्व कर्मचारी की बहाली और लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई करते हुए दाखिल खारिज के लम्बित मामले की निबटारा कब तक कराना चाहती है?

नीतिगत निर्णय कबतक

***249 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नवादा एवं हसुआ शहरी क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष से हजारों ऐसे मकान बने हुए हैं जो भूमि हाल सर्वे में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में अवस्थित इन मकानों का नगर निकाय द्वारा विधिवत होल्डिंग इंद्राज कायम है और रसीद भी कट रही है;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा जिले में बिहार सरकार के खाता की जमीन के

निबंधन पर रोक के फलस्वरूप ऐसे तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनके नाम पर सक्षम न्यायालयों के आदेश के आलोक में बिहार सरकार के खाता की जमीन की जमाबंदी कायम है तथा मालगुजारी रसीद भी कट रही है;

(घ) क्या यह सही है कि प्रश्नगत डिमांडधारी अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी जायदाद की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सक्षम न्यायालयों के आदेश से कायम डिमांडधारियों एवं रसीद धारकों की जमीन के निबंधन एवं नामांतरण हेतु कोई नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदधारकों के विरुद्ध

***250 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अधीन निलंबित सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष समाप्ति के छह माह के अंदर विधिवत वार्षिक आम सभा कराना अनिवार्य है अन्यथा पदधारकों को पद से हटाने/अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि रक्सौल प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि., पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि., दरभंगा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति के छह माह के अंदर वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है और कागजी खानापूर्ति की गई है, जो वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच कराने पर स्पष्ट हो जाएगी, इस कृत से राज्य में सहकारिता सिद्धान्त/आन्दोलन प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार यह बतलाना चाहती है कि रक्सौल एवं दरभंगा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि. के वार्षिक आम सभा की जांच कराकर दोषी पदधारकों के विरुद्ध सहकारिता अधिनियम के आलोक में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पानी निकास की व्यवस्था

***251 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर परिषद्, छपरा के प्रभुनाथ नगर मुहल्ला में प्रतिवर्ष बरसात के समय दो से तीन फीट पानी का जमाव हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रभुनाथ नगर से मुख्य नाला तक पक्की नाली का निर्माण नहीं है, जिसके कारण पानी का जमाव होता है;

(ग) क्या यह सही है कि गंदा पानी जमाव के कारण महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित स्थान से पानी निकास की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

वेतन बढ़ोतरी एवं पेंशन लागू कब तक

***252 श्री राजन कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला में नगर पंचायत 02 तथा नगर परिषद् की संख्या- 02 अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त परिषद्/पंचायत के बोर्ड में प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आये जनप्रतिनिधि अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जनप्रतिनिधियों को वेतन नहीं के बराबर दिया जाता है तथा पदमुक्त होने के बाद पेंशन नहीं दिया जाता है, जिससे जनप्रतिनिधियों में भारी रोष है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर परिषद्/नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशन लागू करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अनुग्रह अनुदान की राशि

***253 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती सुलेखा देवी, पति- श्री अशोक सदाय, ग्राम-करहारा, वार्ड नम्बर- 14, पत्रालय- चुनी भाया+प्रखण्ड– मधेपुर, थाना- भेजा, जिला-मधुबनी की ढ़ाई साल की पुत्री- अंजली कुमारी की बाढ़ के समय दिनांक- 31.07.2020 को नदी में डूब कर मृत्यु हो गई, जिस संबंध में कांड संख्या- 04/2020, दिनांक-31.07.2020 अंकित की गई;

(ख) क्या यह सही है कि अनुमंडल कार्यालय, झंझारपुर का पत्रांक- 664, दिनांक-15.12.2020 के द्वारा, संबंधित अभिलेख जिला आपदा कार्यालय, मधुबनी को प्रेषित कर दिया गया है, किन्तु इस संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय प्रावधानों के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

पर्चा मुहैया नहीं

***254 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत कोसी नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों को भिन्न-भिन्न मौजा में भूमि अर्जित कर वसोवासित कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वसोवासित विस्थापित परिवारों को पर्चा (वैध राजस्व कागजात) नहीं दिए जाने से सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वे वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अर्जित भूमि पर वसोवासित परिवारों को पर्चा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बैठक में आमंत्रण

***255 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर परिषद् की बैठकों में उस क्षेत्र के सदस्य बिहार विधान सभा/सदस्य बिहार विधान परिषद् आमंत्रित होते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत नगर परिषद् की बैठकों में सदस्य बिहार विधान परिषद् को आमंत्रित नहीं किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिले की नगर परिषद् की बैठकों में जनहित की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हो इसके लिए सदस्य बिहार विधान परिषद् को आमंत्रित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटक रूप में विकसित

***256 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत सौराठ सभागाछी की ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर है;

(ख) क्या यह सही है कि विश्वप्रसिद्ध वैवाहिक सभा तथा मिथिला चित्रकला प्रशिक्षण संस्थान को लेकर सौराठ सभागाछी के राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि सभागाछी की पौराणिक गरिमा सौराठ सभागाछी को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की सभी शर्तों को पूरा करती है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सौराठ सभागाछी को एक पर्यटक केन्द्र के तौर पर विकसित करेगी, नहीं तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई

***257 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के शहरी प्रखंड एवं अंचल जहानाबाद के एयरोड्रम अंतर्गत बभना कटैया के अंतर्गत खाता नंबर- 70, खेसरा नंबर- 328 को भृगुनाथ प्रसाद , पिता- श्री राम पदारथ शाह एवं संतोषी मल्लाह, पिता- पुना मल्लाह के द्वारा 38

डिसमिल एवं 38 डिसमिल दोनों के द्वारा खरीद दिनांक- 26.11.1955 में किया गया था जिसका बुक 1 जिल्द 66 सिफा 155 ता 161 वां तमिल पाया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उस खाता 70mai खेसरा प्लॉट नंबर- 328 में 38 डिसमिल भृगुनाथ प्रसाद, पिता- राम पदारथ पश्चिम-पूर्व दिशा दक्षिण की तरफ में तथा श्री संतोषी मल्लाह, पिता- श्री पुना मल्लाह उत्तर में पश्चिम-पूर्व दिशा में आपस में कायम रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उसी खाता नंबर- 70 में खेसरा नंबर- 328 में भृगुनाथ प्रसाद एवं योगेश्वर प्रसाद, पिता- राम पदारथ शाह के द्वारा आपसी बंटवारे के बाद आधे जमीन पर दोनों भाइयों में पश्चिम में भृगुनाथ प्रसाद तथा पूर्व पूर्व में उत्तर-दक्षिण दिशा में योगेश्वर प्रसाद की आधे का हिस्सा पर दोनों अपने हिस्से के भाग पर कायम चलते आए लेकिन श्री भृगुनाथ प्रसाद के अपने हिस्से बेचने के बाद हाल खरीदार के द्वारा जैसे तैसे बिना सरकारी नापी कराये बिना नक्शा पास करवाए उसके आगे बढ़कर अवैध मकान निर्माण कर लिया गया है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सही जांच एवं नापी कराकर अवैध निर्माण को तोड़ने तथा दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

किसानों को खुशहाली

*258 **श्री टुनजी पाण्डेय (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूरे बिहार में मालिक गैरमजरूआ भूमि है, जिसका बंदोबस्त मालिकों द्वारा किसानों को किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मालिकों द्वारा किसानों को बंदोबस्त की हुई भूमि का किसानों के नाम से भूमि रजिस्टर- 2 पर पंजीकृत है;

(ग) क्या यह सही है कि बंदोबस्त भूमि का राजस्व पंजी- 2 के माध्यम से किसानों से 2016-17 तक लिया जाता रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि 2016-17 के बाद जमीन के राजस्व लेने पर रोक लगा दी गई है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मालिक गैरमजरूआ जमीन पर पुनः किसानों से राजस्व लेकर पुनः किसानों को खुशहाली देना चाहती है? यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

***259 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के फुलवारी प्रखंड अंतर्गत नौसा गांव के ईमलीतल मजार से पेट्रोल लाईन ताज नगर तक सड़क का कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है?

दाखिल-खारिज कबतक

***260 श्री तनवीर अख्तर (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मौजा- चितकोहरा, थाना नं.- 17, खाता नं.- 314, खेसरा नं.- 1051, रकबा- 19 धुर 14.5 धुरकी (3.079 डी.) जमीन मीना देवी, पति- विनोद शंकर प्रसाद द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या- 06/19-20 दायर की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के दाखिल-खारिज हेतु ज्ञापांक- 139, दिनांक- 10.08.2019 द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर को आदेश दिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि खण्ड 'ख' में दिये गये आदेश के आलोक में दो वर्ष के बाद भी आवेदिका आदेश की प्रति लेकर अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के आदेश के बावजूद भी अबतक दाखिल-खारिज नहीं करने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए दाखिल-खारिज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?